



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड़, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – मू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2552233

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/मू-प्रबंध/विद्युत/ 479-135/780

रायपुर, दिनांक 22/03/2017

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

भारत सरकार – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय – वेस्ट सेंट्रल रीजन

ईस्टर्न विंग – भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन

VCA के सामने, सिविल लाईन

नागपुर – 440001

विषय: – Diversion of 153.448 ha. forest land in favour of Power Grid Corporation of India Ltd. Raigarh for construction of 765 KV D/C (Hexa) Jharsuguda - Dharamjaygarh Transmission Line in the District of Raigarh in the State of Chhattisgarh.

– पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/ 8080 / 2014

- संदर्भ:**
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-III/CH-09/2016-NGP/ 919 दिनांक 03.10.2016
 2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक / 2492 दिनांक 31.12.2016
 3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक / 770 दिनांक 09.03.2017

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र – 1 द्वारा भारत सरकार (MoEF&CC), क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा 08 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

संदर्भित पत्र – 2 एवं 3 के माध्यम मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा बिन्दुवार जानकारी प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	निराकरण
1	Forest patch wise density of all patches involved in the proposal has not been provided in the proposal.	प्रस्तावित वन भूमि की वनमण्डलवार, कक्षवार घनत्व की जानकारी संलग्न है। (अनुलग्नक-01)
2	Examination of kml/shape files, it is revealed that out of 9 patches indentified for CA, 4 patches were observed to be unsuitable as 3 patches appears to have density more than 40% (1 in Dharamjaygarh (OA No. 1445), 2 in Korba (OA No. 1465 and 1443) while part of 1 patch in Raigarh (964P) appears to be encroachment (agriculture). Further, as per the provision of the component of CA scheme, the State Government has incorporated the provision of protection for 10 years. However, the provisions further needs to be elaborated to confirm if the provision of protection incorporates watchmen and fencing also.	रायगढ़ वन मंडल कक्ष क्रमांक 964 पी में 16.00 हेक्टेयर अतिक्रमण भूमि के स्थान पर कक्ष क्रमांक 933 पी में 16.00 हेक्टेयर नई वैकल्पिक क्षतिपूर्ति सिंचित वृक्षारोपण हेतु नई भूमि प्रस्ताव तैयार कर DGPS रिपोर्ट (KML, Shape file) की CD संलग्न है। धरमजयगढ़ वन मंडल कक्ष क्रमांक ओ.ए 1445 एवं ओ.ए 1468 को वन मंडलाधिकारी, कोरबा वन मंडल द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर ओ.ए 1445 अधिक घनत्व के कारण एवं ओ. ए 1468 में अतिक्रमण/अनुपयुक्त पाये जाने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उक्त प्रस्तावित क्षेत्र को निरस्त किया गया है। उसके स्थान पर जांजगीर-चांपा वन मंडल में निम्नानुसार स्थान चयन किया गया है:-

क	कक्ष क	वनमण्डल	परिक्षेत्र का नाम	प्रस्तावित रकबा हे
1	RF80	जांजगीर-चांपा	बलोदा	30.902
2	RF80	जांजगीर-चांपा	बलोदा	36.509
योग				67.411

कोरबा वन मंडल
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये चयनित स्थल कक्ष क्रमांक OA-1443 एवं OA-1465 को अधिक घनत्व के कारण वन मंडलाधिकारी, कोरबा वनमंडल द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाकर निरस्त किया गया है। उसके स्थान पर निम्नानुसार स्थान चयन किया गया है:-

क	कक्ष क	वनमण्डल	परिक्षेत्र का नाम	प्रस्तावित रकबा हे
1	RF62	जांजगीर-चांम्पा	बलोदा	40.409
2	OA1467	कोरबा	करतला	12.749
योग				53.158

उक्त प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्ताव तैयार कर DGPS रिपोर्ट (KML, Shape file) की CD संलग्न है।

10 वर्षीय उच्च तकनीकी वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (सिंचित) योजना तैयार किया गया है जिसमें बारबेड वायर फेंसिंग एवं सुरक्षा का प्रावधान रखा गया है। (अनुलग्नक-02)

3	Land identified for raising CA is free from encroachment has not been certified by the DCFs concerned.	रायगढ़, जांजगीर-चांपा एवं कोरबा वन मंडल द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता एवं अतिक्रमण नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न हैं। (अनुलग्नक-03)
4	Examination of the proposal submitted online revealed that complete documents i.e. annexure referred in the part-II have not been uploaded. The same needs to be uploaded. Revised Part-II may be submitted without giving any references along with the field inspection notes and reasons for recommending the projects.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यवर्तन के प्रस्ताव के संबंध में संशोधित भाग-II संलग्न है (अनुलग्नक-04)
5	CCF, Bilaspur has mentioned that RoW be reduced from 10m to 3m, however, as per guidelines RoW for 765 kV line is 10m, therefore, the State Government/CCF may convey its considered opinion on the matter that in case the RoW is not reduced, the proposal stands recommending or not.	The area to be felled under each conductor can be increased to 10 m, with a condition to develop grass land equivalent to double the area of felling with in RoW or catchment area of transmission line in order to ensure food security to wild life.
6	KML files pertaining to the CA have not been uploaded properly. As assessed on the website of the MoEF &CC on 01.10.2016, only 5 kml files pertaining to the Raigarh Forest Division have been uploaded while	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के बेवसाइट संबंधी समस्या का समाधान कर समस्त अभिलेखों को अपलोड किया गया है।

	uploading the same file, has been repeated in case of Korba and Dharamjaygarh Divisions. The correct kml files needs to be uploaded in respect of CA area identified in Korba and Dharamjaygarh Divisions.	
7	KML files for 30 patches of the forest land involved in the proposal have been submitted. However, single KML file for the entire stretches of the transmission line may be submitted for the ease of analysis of the forest area using decision support system.	सभी 30 वन कक्षों का एकल .kml फाईल तैयार कर CD संलग्न है। (अनुलग्नक-05)
8	The total forest area mentioned in the certificates of the concerned District Collectors issued under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 is 166.007 ha while diversion is sought only for 153.448 ha. The discrepancy in the area may be justified by the State Government. Further, records of the consultations/meetings of the sub-divisional level committee in Korba District have not been submitted along with the proposal.	प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र का कुल 153.448 हेक्टर = (जिला रायगढ़ का 126.869 हेक्टर (+) जिला कोरबा का 26.5789 हेक्टर) संशोधित वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र संलग्न है। अनुभाग स्तरीय समिति जिला कोरबा की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक-06)

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति जारी किये जाने का कष्ट करें।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-135/781

रायपुर, दिनांक 22/03/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

3. वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।

4. महा प्रबंधक, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्राम एवं पोस्ट कोतरा, नन्देली मार्ग, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

वर्तमान में किसी भी प्रकार की वन भूमि में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व.सं.अ)
छत्तीसगढ़